भारत के राजपत्र असाधारण (भाग–I, खण्ड–1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 32 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 16 दिसम्बर, 2020

विषयः– प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 2.60 में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात हेतु प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक के मौजूदा पैरा 2.60 को प्रतिस्थापित करते है। संशोधित पैरा निम्नानुसार हैः

पैरा 2.60 – प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात हेतु प्रक्रिया

प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की समय–समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 28 / 2020 –सीमा शुल्क विभाग दिनांक 23.06.2020 के अनुसार अभिशासित किया जाता है।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.60 को प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात को अभिशासित करने वाली सीमा शुल्क विभाग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार अद्यतन करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।

अमित यादव
16/12/2020
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01 / 93 / 180 / 49 / एएम–17 / पीसी–2(ख) / ड–1729 से जारी]